

25.06.25

६०

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील से।
एवं वकील से 2 व 3 की ओर से वकील वकील द्वारा शर्जीनामा
होने के कारण नोट प्रेस किया गया। अतः नोट प्रेस के
आधार पर वकील का वादपत्र इसी स्तर पर खरिज
किया जाता है। पत्रावली फेंसलधुमार होकर नम्बर
से कम हो बाद तरीख तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।
निवेद लिखा जाकर लुले न्यायालय में
सुनाया गया।

Dr
(दिव्या सोनी)
R.A.S.

शर्जीनामा होने के
कारण
Not Press
किया गया
शर्जीनामा

O. by me
H. Senth

पत्रावली में
2 व 3 की
नम्बर
परिभाषित
Not Press
H. Senth